प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशु पालन विभाग,
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
कानपुरनगर/कानपुरदेहात/कन्नौज/औरैया/इटावा/फर्रूखाबाद/झांसी/जालौन/चित्रकूट/बांदा/हमीरपुर/महोबा/ललितपुर/आगरा/रामपुर/फतेहपुर/कौशाम्बी/रायबरेली/उन्नाव/अमेठी/मिर्जापुर/सोनभद्र/सिद्धार्थनगर/देवरिया/महराजगंज।

पत्रांक /चारा/।।एफ (417) Vol-II/2018–19 दिनांक 28-12-2018

विषयः– **वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना ''अतिरिक्त चारा विकास कार्यकम''के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश।**

महोदय,

कृपया वित नियन्त्रक के आवंटन पत्र संख्या–1164/बजट/29(5)/अनु0–11/01/6–2018–19 दिनांक–27–12–2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनु0 सं0–11 के अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यकम **''अतिरिक्त चारा विकास कार्यकम'' (Additional Fodder Development Programme-AFDP)** के अन्तर्गत **जायद–2019** हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन पत्र में दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित धनराशि का उपयोग निम्न दिशा–निर्देशो के अन्तर्गत किया जायः–

1– योजना के वृहद प्रचार–प्रसार हेतु सूचना प्रतिष्ठित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाये, साथ ही विज्ञप्ति की प्रतियां जिलाधिकारी कार्यालय, विकास भवन, तहसील, विकास खण्ड, मण्डी परिषद, सहकारी समितियों के सूचना पटों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से चस्पा कराया जाय।

2– योजनान्तर्गत लघु/सीमांत कृषकों/पशुपालकों को चयन में वरीयता दी जायेगी। न्यूनतम 0.1 हे0 एवं अधिकतम 0.5 हे0 भूमि पर चारा उत्पादन हेतु इच्छुक लाभार्थियो का चयन किया जाय।

3– इच्छुक कामधेनु/मिनी कामधेनु/माइको कामधेनु के लाभार्थियों को भी योजनान्तर्गत चयनित किया जा सकता है।

4– **अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों तथा महिला लाभार्थियों को नियमानुसार चयन में** वरीयता दी जाय। पी0सी0डी0एफ0 के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों का भी चयन किया जायेगा।

5– **लाभार्थियों के चयन का मापदण्ड–**
(क) लाभार्थी कम से कम 02 दुधारू पशु पालता हों तथा चारा उत्पादन हेतु इच्छुक हो।
(ख) लाभार्थी के पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो अथवा चारा फसल की सिंचाई आसानी से की जा सके।
(ग) लाभार्थी के पास स्वयं की जोत हो, जिसका सत्यापन खसरा/खतौनी से कर लिया जाय।
(घ) योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि वर्ष 2017–18 की अवशेष पुर्नवैधीकृत धनराशि है। अतः वर्ष 2017–18 में योजना अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को लाभान्वित नही किया जायेगा।

6– **लाभार्थियों का चयन निम्न समिति द्वारा किया जायेगा–**

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	–	**अध्यक्ष**
सम्बन्धित उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	–	**सदस्य/सचिव**
सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी	–	**सदस्य**

7– लाभार्थियों का चयन करते समय यह प्रयास किया जाये कि जिस प्लाट में चारा फसल बोयी जानी है, वह सडक/चकरोड के आस–पास हो अर्थात् जहॉ पर वह सरलता से प्रदर्शित हो तथा अधिक से अधिक कृषक/पशुपालक अवलोकन कर सके।

8– जनपदवार चारा उत्पादन हेतु निर्धारित क्षेत्रफल, बीज/उर्वरक की मात्रा एवं लाभार्थियों की संख्या **परिशिष्ट–एक** में दर्शायी गयी है।

9– **परिशिष्ट–एक** में जनपदवार लाभार्थियों की संख्या प्रति लाभार्थी 0.1 हेक्टेयर के आधार पर दर्शायी गई है। अतः यदि जनपद में ऐसे भी लाभार्थियों का चयन किया जाता है, जो 0.1 हे0 से 0.5 हे0 तक चारा उत्पादन करने में सक्षम हो तो जनपद में लाभार्थियों की संख्या **परिशिष्ट–एक** में दर्शाये गये लाभार्थियों की संख्या से कम हो जायेगी, लेकिन जनपद में चारा उत्पादन हेतु आच्छादित होने वाले क्षेत्रफल में कोई कमी नही होगी अर्थात जनपद में चारा उत्पादन हेतु **परिशिष्ट–एक** में दर्शाया गया क्षेत्रफल यथावत् रहेगा।

10– **27–सब्सिडी** मद में आवंटित धनराशि का व्यय/भुगतान **परिशिष्ट–2** पर संलग्न विवरणानुसार किया जायेगा। **ज्वार (मल्टीकट) चारा बीज** का कय **एन0एस0सी0** से तथा उर्वरकों (नीम कोटेड यूरिया एवं डी0ए0पी0) का कय **इफको** से कर, पशुपालकों को एक साथ निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। प्रति लाभार्थी को 0.1 हे0 क्षेत्रफल में बुवाई हेतु 03

किग्रा0 ज्वार(मल्टीकट) चारा बीज, 10 किग्रा0 डी0ए0पी0 एवं 25 किग्रा0 यूरिया उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार 0.1 हे0 से अधिक 0.5 हे0 क्षेत्रफल तक बुवाई हेतु उक्त इकाई मानक के गुणक में चारा बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराया जायेगा। डी0ए0पी0 की सम्पूर्ण एवं यूरिया की आधी मात्रा बुवाई के समय बेसल ड्रेसिंग के रूप में तथा यूरिया की शेष आधी मात्रा खडी चारा फसल में टाप ड्रेसिंग के रूप में दी जायेगी।

11— **27—सब्सिडी मद** में आवंटित धनराशि से ज्वार (मल्टीकट) चारा बीज एवं उर्वरक (नीम कोटेड यूरिया एवं डी0ए0पी0) निर्धारित संस्था/उपक्रम से क्रय कर दिनांक 31—01—2019 से पूर्व लाभार्थियों को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय, क्योंकि आवंटित धनराशि का आगणन सामग्रियों के वर्तमान मूल्य पर किया गया है। **माह फरवरी, 2019 में चारा बीज एवं उर्वरकों की दरों में बृद्धि होने की प्रबल सम्भावना के दृष्टिगत आवंटित धनराशि का उपयोग 31 जनवरी, 2019 से पूर्व अवश्य कर लिया जाय।**

12— मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा योजना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए गत वर्ष की भांति **इफको** से उर्वरक क्रय करने हेतु जनपद के उप कृषि निदेशक(प्रसार)/सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक (सहकारिता) से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उर्वरकों के क्रय हेतु सम्बन्धित संस्था/उपक्रम द्वारा आवश्यकता पडने पर अथवा मांगे जाने पर चयनित लाभार्थियों की सूची मय आधार पहचान पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय।

13— योजनान्तर्गत प्रदर्शन स्थल पर साधारण कार्ड—बोर्ड पर लाभार्थी का पूर्ण विवरण अंकित कर लाभार्थी के साथ चारा फसल में प्रदर्शित करते हुए फोटोग्राफी भी करायी जाय। फोटोग्राफी कराने के बाद उसकी एक प्रति पशुपालन निदेशालय के चारा अनुभाग को उपलब्ध करायी जाये। अवशेष धनराशि को सूचनाओं के प्रेषण (सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी), अभिलेखीकरण एवं फोटोग्राफी इत्यादि पर व्यय किया जायेगा।

14— सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आवंटित चारा बीज मिनीकिटों का पूर्ण विवरण संलग्न **प्रारूप—1** पर अपने चिकित्सालय पर रखा जायेगा।

15— सम्बन्धित **पशुधन प्रसार अधिकारियों** द्वारा योजना का सफल क्रियान्वयन कराया जायेगा। उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा समय—2 पर, लाभार्थियों द्वारा बोयी गयी चारा फसलों का निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण आख्या मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि किसी भी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता पायी जाती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा।

16— योजना के कार्यो की पूर्णता पर **प्रारूप—1**, **प्रारूप—2**, **प्रारूप—3** एवं **प्रारूप—4** पर **लाभार्थियों का विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र**, **श्रेणीवार लाभार्थियों का विवरण** एवं **योजना का Impact assessment** (**फीड बैक**) चारा अनुभाग, पशुपालन निदेशालय को हार्ड एवं साफ्ट कापी में ई—मेल **fdoup522@gmail.com** पर उपलब्ध कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा।

17— योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष में ही अनिवार्य रूप से किया जाना है। योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रारूप पर तत्काल उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा।

18— आवंटित धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि आवंटित की गयी है। किसी अन्य मद में न तो इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन ही किया जायेगा। योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि में से व्यय न होने वाली धनराशि का मानक मदवार समर्पण समय से निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

19— योजना को निर्बाध गति एवं सफल संचालन हेतु निदेशालय के अधिकारियों द्वारा समय—समय पर आकस्मिक निरीक्षण एवं सत्यापन किया जायेगा।

20— योजनान्तर्गत कृषि निवेशों का वितरण, यथासम्भव स्थानीय जन—प्रतिनिधियों (ग्राम प्रधान/ब्लाक प्रमुख/मा0 विधायक एवं सांसद आदि) की उपस्थिति में पारदर्शिता के साथ करायी जाय, जिसकी फोटोग्राफी भी अनिवार्य रूप से करायी जाये।

20— **विस्तृत कार्य योज**ना एवं **गाईड—लाइन** विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 चरण सिंह यादव),
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांकः 280/चारा/।।।एफ (417) Vol-II/2018—19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— कृषि निदेशक, कृषि भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

2— वित्त नियन्त्रक, मुख्यालय।

3— सम्बन्धित अपर निदेशक ग्रेड—2, पशुपालन विभाग।

4– **क्षेत्रीय प्रबन्धक**, राष्ट्रीय बीज निगम, 569/153, बाराविरवा, निकट पिकडली होटल, कानपुर रोड लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि बीज अधिनियम द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार बीज के परीक्षण परिणाम के साथ बीज लाटों के अनुसार सैम्पल (500 ग्राम के 02–02 पैकेट प्रति लाट) पशुपालन निदेशालय के चारा अनुभाग को शीघ्र उपलब्ध करायें तथा मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा **परिशिष्ट–1** के अनुसार निर्धारित मात्रा में चारा बीज क्रय हेतु मांग पत्र प्रस्तुत करने पर, निर्धारित पैकिंग साईज में (3.0 किग्रा0) दिये गये प्रारूप पर मय छपाई के साथ उपलब्ध करायी गयी दरो पर चारा बीज आपूर्ति किया जायेगा तथा आपूर्ति के समय बीज परीक्षण परिणाम की छायाप्रति भी उपलब्ध कराया जायेगा। यह भी अवगत कराना है कि परिशिष्ट–1 के अनुसार चारा बीज की मांग, वर्ष 2017–18 में अनु0 सं0–11 के अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम **"अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम" (Additional Fodder Development Programme-AFDP)** की अवशेष पुर्नवैधीकृत धनराशि के सापेक्ष की जा रही है। उक्त योजनान्तर्गत चालू वित्तीय 2018–19 में धनराशि की स्वीकृति निर्गत होने पर आवश्यक चारा बीज की मांग पृथक से पुनः की जायेगी।

5– **राज्य विपणन प्रबन्धक,** इफको, 8–गोखले मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि चयनित जनपदों के मुख्य पशु–चिकित्साधिकारियों द्वारा **परिशिष्ट–1** के अनुसार निर्धारित मात्रा में उर्वरक क्रय हेतु मांग पत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध करायी गयी दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित जनपद के इफको प्रभारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराना है कि परिशिष्ट–1 के अनुसार उर्वरकों की मांग, वर्ष 2017–18 में अनु0 सं0–11 के अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम **"अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम" (Additional Fodder Development Programme-AFDP)** की अवशेष पुर्नवैधीकृत धनराशि के सापेक्ष की जा रही है। चालू वित्तीय 2018–19 में उक्त योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति निर्गत होने पर आवश्यक उर्वरकों की मांग पृथक से पुनः की जायेगी।

6– नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई, मुख्यालय।

7– इफको प्रभारी, सम्बन्धित जनपद।

8– विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा0 चरण सिंह यादव),
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

परिशिष्ट–1

क्र0सं0	जनपद का नाम	लाभार्थियों की अधिकतम सं0	निर्धारित क्षेत्रफल (हे0 में)	ज्वार (मल्टीकट) बीज की मात्रा (कु0 में)	यूरिया की मात्रा (कु0 में)	डी0ए0पी0 की मात्रा (कु0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा	550	55.0	16.50	137.50	55.00
2	रामपुर	300	30.0	9.00	75.00	30.00
3	कानपुर नगर	250	25.0	7.50	62.50	25.00
4	कानपुर देहात	200	20.0	6.00	50.00	20.00
5	फर्रूखाबाद	200	20.0	6.00	50.00	20.00
6	कन्नौज	100	10.0	3.00	25.00	10.00
7	इटावा	100	10.0	3.00	25.00	10.00
8	औरैया	100	10.0	3.00	25.00	10.00
9	झांसी	50	5.0	1.50	12.50	5.00
10	जालौन	100	10.0	3.00	25.00	10.00
11	ललितपुर	50	5.0	1.50	12.50	5.00
12	बांदा	100	10.0	3.00	25.00	10.00
13	महोबा	50	5.0	1.50	12.50	5.00
14	हमीरपुर	50	5.0	1.50	12.50	5.00
15	चित्रकूट	50	5.0	1.50	12.50	5.00
16	फतेहपुर	300	30.0	9.00	75.00	30.00
17	कौशाम्बी	100	10.0	3.00	25.00	10.00
18	रायबरेली	200	20.0	6.00	50.00	20.00
19	उन्नाव	250	25.0	7.50	62.50	25.00
20	अमेठी	150	15.0	4.50	37.50	15.00
21	सिद्धार्थनगर	100	10.0	3.00	25.00	10.00
22	देवरिया	100	10.0	3.00	25.00	10.00
23	महराजगंज	150	15.0	4.50	37.50	15.00
24	मिर्जापुर	100	10.0	3.00	25.00	10.00
25	सोनभद्र	50	5.0	1.50	12.50	5.00
	योग	**3750**	**375.0**	**112.50**	**937.50**	**375.00**

नोट–

सामग्री का नाम	प्रयोग दर प्रति इकाई (0.1 हे0)
ज्वार (मल्टीकट) चारा बीज	3 किग्रा0
यूरिया	25 किग्रा0 (आधी मात्रा बेसल ड्रेसिंग +आधी मात्रा टाप ड्रेसिंग)
डी0ए0पी0	10 किग्रा0 (बेसल ड्रेसिंग)

परिशिष्ट–2

क0सं0	जनपद का नाम	आहरण वितरण अधिकारी	आवंटित धनराशि का विवरण (रू0में)			कुल योग
			27–सब्सिडी			
			ज्वार बीज (मल्टीकट)	यूरिया	डी0ए0पी0	
1	2	3	4	5	6	10
1	आगरा	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	74250.00	92500.00	160000.00	326750.00
2	रामपुर	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	40500.00	50500.00	87500.00	178500.00
3	कानपुर नगर	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	33750.00	42500.00	73000.00	149250.00
4	कानपुर देहात	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	27000.00	34000.00	58500.00	119500.00
5	फर्रूखाबाद	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	27000.00	34000.00	58500.00	119500.00
6	कन्नौज	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	13500.00	17500.00	29500.00	60500.00
7	इटावा	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	13500.00	17500.00	29500.00	60500.00
8	औरैया	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	13500.00	17500.00	29500.00	60500.00
9	झांसी	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	6750.00	9000.00	15000.00	30750.00
10	जालौन	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	13500.00	17500.00	29500.00	60500.00
11	ललितपुर	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	6750.00	9000.00	15000.00	30750.00
12	बांदा	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	13500.00	17500.00	29500.00	60500.00
13	महोबा	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	6750.00	9000.00	15000.00	30750.00
14	हमीरपुर	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	6750.00	9000.00	15000.00	30750.00
15	चित्रकूट	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	6750.00	9000.00	15000.00	30750.00
16	फतेहपुर	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	40500.00	50500.00	88250.00	179250.00
17	कौशाम्बी	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	13500.00	17500.00	29500.00	60500.00
18	रायबरेली	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	27000.00	34000.00	58500.00	119500.00
19	उन्नाव	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	33750.00	42500.00	73000.00	149250.00
20	अमेठी	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	20250.00	25500.00	44000.00	89750.00
21	सिद्धार्थनगर	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	13500.00	17500.00	29500.00	60500.00
22	देवरिया	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	13500.00	17500.00	29500.00	60500.00
23	महराजगंज	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	20250.00	25500.00	44000.00	89750.00
24	मिर्जापुर	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	13500.00	17500.00	29500.00	60500.00
25	सोनभद्र	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	6750.00	9000.00	15000.00	30750.00
	योग		**506250.00**	**643000.00**	**1100750.00**	**2250000.00**

प्रारूप—1

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** की उपयोजना **''अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम''** के अन्तर्गत जायद–2019 में जायद चारा उत्पादन मिनीकिट के निःशुल्क वितरण हेतु पशुपालन निदेशालय के पत्र सं0–...दिनांक......................द्वारा जनपद................................को आवंटित धनराशि रू0................के सापेक्ष रू0........................दिये गये दिशा–निर्देशानुसार उपयोग कर लिया गया है। योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि रू0........................को इस कार्यालय के पत्र सं0..दिनांक........................द्वारा समर्पित कर दिया गया है, तथा धनराशि जिस प्रयोजन के लिए आवंटित की गयी है, उसे उसी प्रयोजन में ही व्यय किया गया है। योजनान्तर्गत जनपद में कुल..................लाभार्थियों को लाभान्वित तथा ....हे0 क्षेत्रफल को आच्छादित किया गया है।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जनपद..............................

प्रारूप–2

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना **"अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम"** के अन्तर्गत जायद–2019 **में चयनित लाभार्थियों का विवरण**

क0 सं0	लाभार्थी का नाम एवं पिता का नाम, मो0नं0 एवं आधार नं0	पूर्ण पता	लाभार्थी की श्रेणी	लघु/ सीमान्त / अन्य कृषक	चारा उत्पादन हेतु, आच्छादित होने वाला क्षेत्रफल	निवेश (बीज एवं उर्वरक) वितरण की तिथि	खसरा सं0	ज्वार (मल्टीकट) चारा बीज मिनीकिट का विवरण					उर्वरक का नाम एवं उपयोग तिथि		
								बुवाई की तिथि	कटाई की तिथि		उत्पादन (कु0 में)		डी0ए0पी0 (बेसल ड्रेसिंग)	यूरिया	
									I	II	I	II		बेसल ड्रेसिंग	टाप ड्रेसिंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जनपद.......................

प्रारूप–3

श्रेणीवार लाभार्थियों का विवरण

S.No.	Total No of items distributed	Actual No of Farmers/Beneficiaries							Actual coverage area (ha)
		Small	Marginal	SC	ST	Women	SHG/Cooperative/Others	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जनपद..............................

प्रारूप–4

Impact Assesment (फीड बैक)

क्र0 सं0	योजना का नाम	ग्राम का नाम	वि0ख0 का नाम	योजना प्रारम्भ होने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम में हरा चारा उत्पादन की स्थिति		योजना के दौरान सम्बन्धित ग्राम में हरा चारा उत्पादन की स्थिति		योजना पश्चात् सम्बन्धित ग्राम में हरा चारा उत्पादन की स्थिति (रबी फसल चक्र से एक वर्ष तक अर्थात् खरीफ–19, रबी–19 एवं जायद–20)		अभ्युक्ति
				कृषकों की सं0	उत्पादन कु0	कृषकों की सं0	उत्पादन कु0	कृषकों की सं0	उत्पादन कु0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जनपद............... ....